सं0 सं0-3/सी0 एस0/ए-09 विविध / 2012....4100....

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह ,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव।

पटना-15, दिनांक-.06.अगस्त, 2014

विषय : सरकार के कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय भ्रमण एवं केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

राज्य में काफी पूर्व से विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों को जिलों का प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव बनाकर सरकार की योजनाओं की गहन समीक्षा की परंपरा है। इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-1732, दिनांक-29.11.2010 द्वारा निर्गत निदेशों में यह प्रावधान किया गया था कि जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव आवंटित जिलों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही इन जिलों में क्षेत्रीय भ्रमण कर कुछ योजनाओं का निरिक्षण करेंगे ताकि यह पता चल सके कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ जन-सामान्य को प्राप्त हो रहा है या नहीं। उपरोक्त पत्र द्वारा अपेक्षा की गयी थी कि सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने आवंटित जिले का भ्रमण माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से करेंगे। उसी पत्र में उल्लिखित है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में बैठक की परासंगिकता एवं राज्य हित को देखकर ही भाग लिया जाय और अगर एक बार से ज्यादा राज्य के बाहर बैठक में भाग लेना हो तो मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

जिलों के भ्रमण के बाद भ्रमण के दौरान किये गये कार्रवाई के संबंध में एक टिप्पणी मुख्य सचिव एवं सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। बाद में इसमें जोड़ा गया कि उक्त टिप्पणी/प्रतिवेदन जिले के प्रभारी मंत्री महोदय को भी दिया जाय। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप अब कार्रवाई लगभग ठप्प सी हो गई है एवं इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित निदेशों के अनुपालन की अपेक्षा है :-

(i) जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव हर महीने कम से कम एक बार अपने आवंटित जिले का भ्रमण करेंगे। वहाँ चल रही मुख्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही जिले के कुछ गाँवों का भ्रमण कर सरकार की कुछ योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र के निरीक्षण में गरीब वर्ग के लोगों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के निरीक्षण को प्राथमिकता दी जायगी।

(iii) निरीक्षण टिप्पणी/प्रतिवेदन मुख्य सचिव को संबोधित की जायगी और उसकी एक प्रति विकास आयुक्त एवं जिले के प्रभारी मंत्री महोदय को उपलब्ध करायी जायगी।

(iv) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्राप्त टिप्पणी/प्रतिवेदन में उठाये गये मुख्य बिन्दु पर विभिन्न विभागों द्वारा क्या कार्रवाई हुई इसका अनुश्रवण एक वरीय पदाधिकारी के माध्यम से करायेंगे। मुख्य सचिव के स्तर पर प्रधान सचिव/सचिवों के साथ होने वाली बैठक में की गई कार्रवाई की समीक्षा की जायगी।

(v) केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय संस्थानों द्वारा आयोजित बैठकों में प्रधान सचिव/सचिव बैठक की प्रासंगिकता एवं राज्य हित को देखते हुए भाग लेंगे। रूटीन बैठकों में स्थानिक आयुक्त से भी भाग लेने का अनुरोध किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि बैठक के लिए सामग्री उन्हें पूर्व से उपलब्ध करा दी जाय।

(vi) केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं में अधिकाधिक राशि प्राप्त करने पर बल दिया जाय और इसके लिए प्रधान सचिव/सचिव को केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय में जाने की आवश्यकता हो तो अवश्य जायें। मैं इस बात की समीक्षा करूंगा कि किस विभाग में किस केन्द्रीय योजना या केन्द्र संपोषित योजना में कितनी राशि प्राप्त की गयी।

(vii) प्रधान सचिव/सचिव केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने के पश्चात् एक संक्षिप्त टिप्पणी स्थानिक आयुक्त के कार्यालय को भी भेजेंगे जो आवश्यक अनुश्रवण उन मंत्रालयों से करेंगे।

(viii) सभी विभाग अपने प्रमुख निर्णयों एवं निदेशों की प्रति प्रभारी प्रधान सचिव/सचिवों को उपलब्ध करायेंगे।

राज्य की प्राथमिकताएं पूरे वर्ष एक समान नहीं होती - जैसे माह अगस्त के भ्रमण के लिए मेरे विचार से अन्य योजनाओं के अलावा सुखाड़ की समस्या, विद्युत आपूर्त्ति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन, सड़क की मरम्मति एवं पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लिए चलाये जा रहे लाभकारी योजनायें होने चाहिए।

माह अगस्त से उपर्युक्त निदेशों का कठोरता से अनुपालन प्रारम्भ किया जाय। मुझे विश्वास है कि आप सब के जिलों के भ्रमण से विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के कार्यक्रम की गति बढ़ेगी एवं गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

विश्वासभाजन

6/9/11

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक–3 / सी0 एस0 एम0–09 विविध / 2012 400 / दिनांक– 26/8/2014

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव